

श्री संतोष कुमार

बिहार

विषय: आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत प्राप्त आपके मूल आवेदन के सम्बन्ध में जानकारी प्रदान करना।

संदर्भ: आपका आरटीआई आवेदन दिनांक 22.08.2020.

उपरोक्त आवेदन के सन्दर्भ में संबंधित कार्यालय से एकत्र की गई जानकारी आपको प्रदान की जा रही है। जो इस प्रकार है:

क्रमांक	मांगी गई सूचना क्रम संख्या	उपलब्ध सूचना
1	आरटीआई आवेदन दिनांक-	आरटीआई एक्ट 2005 के अंतर्गत उपलब्ध सूचनाओं का संकलन करके उससे निष्कर्ष निकालकर देने का प्रावधान नहीं है
2	22.08.2020	उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार आपका ऑन रिक्वेस्ट ट्रान्सफर का आवेदन दिनांक 18.06.2019 को कॉर्पोरेट ऑफिस में प्राप्त हुआ है
3	के द्वारा मांगी गई सूचना	भविष्य में होने वाली कार्यवाही से संबंधित सूचना देने का कोई प्रावधान आरटीआई एक्ट में नहीं है वर्तमान में इस प्रकार कि सूचना से संबंधित कोई डॉक्यूमेंट उपलब्ध नहीं है
4		रात्रि इयूटी भत्ता कि पालिसी संलग्न है।
5		भविष्य में होने वाली कार्यवाही से संबंधित सूचना देने का कोई प्रावधान आरटीआई एक्ट में नहीं है।
6		चूंकि वर्तमान में चलने वाली ट्रेनों की संख्या बहुत कम है, इसलिए काम का बोझ कम है। इसलिए वर्तमान रोस्टर E1 (essentially intermittent) है। जब गाड़ियों की संख्या बढ़ जाएगी और बाद में काम का बोझ बढ़ जाएगा, तो रोस्टर को 'लगातार रोस्टर' में बदल दिया जाएगा।

आशा है उपरोक्त जानकारी पूर्ण और संतोषजनक है। यदि नहीं, तो आप अपीलीय प्राधिकरण को पत्र की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर अपील कर सकते हैं, जिसका नाम और पता इस प्रकार है:

सुश्री आर० पी० छिबबर

समूह महाप्रबंधक / प्रशासन, DFCCIL,

5 वीं मंजिल, सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन बिल्डिंग,

प्रगति मैदान, नई दिल्ली -110001

  
01.10.2020

(एस. के. राय)

उप. महाप्रबंधक/प्रशा. (ज. सू. अ.)

011-23454707

संलग्न: 01 पृष्ठ

17/2020/HR-COORD&POLICY डीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि.



**Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited**

(भारत सरकार का उपक्रम)  
(A Govt. of India Enterprises)

HQ-HR0COPO(HRP)/15/2020-HR-COORD AND POLICY /948

Dated: 17.09.2020

**CIRCULAR NO 571/2020**

**Sub: Rates of Night Duty Allowance (NDA) and National Holiday Allowance (NHA) for rostered staff (up to E1 level) in DFCCIL**

BoD in its 73<sup>rd</sup> meeting (Item 73.3.6) held on 26.08.2020, has approved the rates of NDA and NHA for rostered staff (up to E1 level) in DFCCIL based on the rates of Indian Railway.

**1. Rates of Night Duty Allowance (NDA)**

Hourly rate of NDA shall be calculated based on  $\{(Basic\ pay + Dearness\ Allowance)/200\}$  for work put in by eligible rostered staff during the period from 2200 hours to 0600 hours. For calculation of rate of NDA, weightage of 10 minutes for every hour of duty performed between hours of 22.00 and 06.00 will be applicable. The rate would be separately worked out for each employee.


**2. Rates of National Holiday Allowance (NHA)**

Admissibility of NHA for various groups of rostered staff for work during National Holidays will be as indicated below -

Level in DFCCIL	Rate of allowance (per day) - INR
N1-N4	Rs 384
N5-N7	Rs 477
E0-E1	Rs 630

Note: The rates of this allowance will further increase by 25% each time DA rises by 50%.

The above rates will be applicable from the date of BoD's approval, i.e from 26<sup>th</sup> August, 2020.

  
(S.K Panda)

Joint General Manager/HR

Copy to -

1. Secy. to MD, for kind information of MD
2. Director/OP&BD, Director/Finance, Director/PP, CVO
3. ED/EDFC, ED/WDFC
4. GGMs/GMs/CGMs/GM-Coordination- for information of employees working under them